



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दण्ड प्रक्रिया

संहिता के अंतर्गत - संख्या 240, वर्ष 2026

आदर्श झुनझुनवाला

.....आवेदक(गण)

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

:

ऐश्वर्या सक्सैना, प्रांजल जैन,

रोहित कनौजिया

विपक्षी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

:

अनुज टंडन

न्यायालय संख्या - 14

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णदु चक्रवर्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता – जिनकी सहायता अधिवक्ता श्री प्रांजल जैन और अधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या सक्सेना ने की—तथा प्रत्यर्थी/केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज टंडन की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रतिवादी-केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया है और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में एक प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया है; और ये दोनों शपथ पत्र अभिलेख पर ले लिए गए हैं।
3. यह आवेदन आवेदक द्वारा वाद संख्या 01 वर्ष 2025 में अग्रिम ज़मानत की माँग करते हुए दायर किया गया है। यह वाद प्राथमिकी संख्या आरसी0062019ए0016, दिनांक 04.11.2019 से संबंधित है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-B, 409, 420, 467, 468, 471, 477-A के अंतर्गत पुलिस स्टेशन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ज़िला लखनऊ में पंजीकृत है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उपर्युक्त वाद 04.11.2019 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर पंजीकृत किया गया है। यह प्राथमिकी मेसर्स जे.वी.एल एगो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और आठ नामजद व्यक्तियों, जिनमें आवेदक और कुछ अज्ञात लोक सेवक सम्मिलित हैं, के विरुद्ध दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी 02.11.2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा, वाराणसी क्षेत्र के सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। इस शिकायत में मेसर्स जे.वी.एल एगो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के आरोपी अध्यक्ष, निदेशक और प्रत्याभूतिकर्ता; मेसर्स सिंह दीक्षित एंड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट; मेसर्स स्पर्श एंड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट; और अज्ञात लोक सेवकों द्वारा किए गए कथित अपराधों—जैसे आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, अभिलेखों में फर्जीवाड़ा और आपराधिक दुराचार—का आरोप लगाया गया था। इन कृत्यों के परिणामस्वरूप, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के साथ 1036.43 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

5. प्राथमिकी में कहा गया है कि मेसर्स जे.वी.एल एगो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने लंबे समय तक बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक से अलग-अलग तरह की आर्थिक सुविधाएं ली थीं। आरोपियों ने बैंक को धोखे से और बेईमानी से गुमराह करके ज़्यादा कीमत वाली क्रेडिट सुविधाएं मंजूर करवाने और उन्हें हासिल करने के लिए गलत स्टॉक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार कीं, जिससे 31.12.2018 तक बैंक को 518.44 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। आरोपियों का रकम चुकाने का कोई इरादा नहीं था और इस तरह उन्होंने बैंक के साथ धोखा किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 05.02.2018 को मेसर्स जे.वी.एल एगो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया और विजया बैंक ने 31.07.2018 को इस खाते को एन.पी.ए घोषित कर दिया।

6. आवेदक ने जाँच में सहयोग किया है, उसका बयान दर्ज किया जा चुका है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। जाँच के बाद, 27.12.2024 को पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनमें आवेदक भी सम्मिलित है, एक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में विशेष रूप से यह कहा गया है कि बैंकों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत बैंक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया है। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि आवेदक आदर्श झुनझुनवाला ने 27.03.2017 की तारीख वाला 30,00,000/- रुपये का एक चेक हस्ताक्षरित किया था, जिसके माध्यम से मेसर्स पहाड़िया मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खाते से राशि निकाली गई थी। आवेदक के विरुद्ध दूसरा आरोप यह है कि उसने वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2017-18 तक के लिए मेसर्स जे.वी.एल एगो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड की सभी बैलेंस शीट पर अपने पिता और सह-आरोपी एस.एन. झुनझुनवाला के साथ हस्ताक्षर किए थे। कंपनी के पिछले अभिलेख के विपरीत, वित्तीय वर्ष 2017-18 की ऑडिट की गई बैलेंस शीट में 325.08 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। आरोपी व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाले पिछले वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट में माल-सूची का मूल्यांकन बढ़ा-चढ़ाकर किया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2018 में कंपनी मेसर्स जे.वी.एल एगो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; उन्होंने उस जाँच में सहयोग किया है जो पाँच वर्ष से अधिक समय तक चली, और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। यद्यपि, 27.12.2024 को आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, फिर भी विचारण अभी प्रारम्भ होना बाकी है।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी-केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है और यह दलील दी है कि जाँच में बैंकों के साथ की गई धोखाधड़ी में आवेदक की संलिप्तता सिद्ध हो गई है, जिससे बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि जाँच के समय खातों में हेराफेरी के आरोप भी सिद्ध हो गए हैं। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, आवेदक अग्रिम ज़मानत पाने का अधिकारी नहीं है।

10. वाद के ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने जाँच में सहयोग किया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है—जो पाँच साल से ज़्यादा समय तक चली—और इस दौरान आवेदक को गिरफ़्तार नहीं किया गया; बैंकों ने अपने किसी भी अधिकारी पर वाद चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया है; वर्ष 2018 में कंपनी मेसर्स जे.वी.एल एगो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी; यद्यपि 27.12.2024 को आरोप पत्र जमा कर दिया गया है, लेकिन विचारण अभी प्रारम्भ होना बाकी है और विचारण के पूरा होने में निश्चित रूप से बहुत लंबा समय लगेगा; इसके साथ ही यह तथ्य भी है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और वाद के नतीजे पर असर डालने वाली कोई भी टिप्पणी किए बिना, मेरा यह मत है कि ऊपर बताए गए तथ्य आवेदक को अग्रिम ज़मानत देने के लिए पर्याप्त आधार बनाते हैं।

11. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है। यदि आवेदक आदर्श झुनझुनवाला को उपरोक्त आपराधिक वाद में गिरफ़्तार किया जाता है, या वह संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, तो उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा; इसके लिए उसे एक निजी बंध पत्र और दो समान राशि के ज़मानतदार प्रस्तुत करने होंगे, जो संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों। यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, और साथ ही उन अन्य शर्तों के भी अधीन होगी जो विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं:

(i). जब भी आवश्यकता हो, आवेदक, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा;
- (iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

31 मार्च, 2026

राम.

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।